न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 166 / 2022

1 विजय सिंह पुत्र जय सिंह जाति राजपूत निवासी नया परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 अजय सिंह पुत्र स्व. जयसिंह
2 रघुवीर सिंह पुत्र स्व. उम्मेद सिंह
3 भवानीराज पुत्र स्व. उम्मेद सिंह
4 महेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह
5 सुरेन्द्र पुत्र सोभाग्य सिंह
6 हिम्मत सिंह पुत्र सोभाग्य सिंह
7 संग्राम सिंह पुत्र कल्याण सिंह
8 जितेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह
9 विरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह
10 शक्ति सिंह पुत्र स्व. श्री शिवसिंह
11 विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवसिंह
12 प्रभु सिंह पुत्र नारायण सिंह
13 श्योदान सिंह उर्फ सुजान सिंह पुत्र नारायण सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी नया परसरामपुरा तहसील नलवगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
14 राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 25.07.2022 बअदालत सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आरएएस मुकदमा उनवानी विजय सिंह बनाम अजय सिंह वगै. मु.नं. 236/2015 दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री नेमीचन्द डुडी, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 236/2015 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 2722 रकबा 0.90 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू में अवस्थित है। अपीलान्ट ने उक्त जमीन की खातेदारी के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया। उक्त वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.07.2022 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि पुराना खसरा नम्बर 1644 कुल रकबा 2 बीघा 8 बिश्वा नया खसरा नम्बर 5192/3361 बनाये गये थे। इसके नये खसरा नम्बर वर्तमान 2722 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर बने जो कि अब गै. मु. नदी है इसमें प्रार्थी/अपीलान्ट व अनावेदकगण के दादा जोध सिंह थे, जो कि भूमि पुराने खसरा नम्बर 1644 कृषि भूमि थी जिसके खातेदार आंस कंवर, उम्मेद सिंह, जय सिंह, नारायण सिंह, सुमेर सिंह, किशोर सिंह, शिव सिंह आदि थे। पुराने खसरा नम्बर 1644 कृषि भूमि थी ओर उससे मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक दौराने भू–प्रबन्ध कार्य भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा नये खसरा नम्बर 5192/3361 बनाये गये थे इस कारण खसरा नम्बर 5192/3361 के कायम होने के बाद में अलग से नया राजस्व ग्राम बनने के कारण पुनः नम्बर बदले जाकर हाल खसरा नम्बर 2722 बनाये गये है। इस प्रकार भूमि के पुराने खसरा नम्बर से बनने वाले नये खसरा नम्बरान की भूमि कि किस्म नहीं बदली जा सकती है परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने बिना अधिकार के और बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के तहत कृषि भूमि से बनने वाले नये खसरा नम्बर को गैरमुमकिन नदी के रूप में परिवर्तित किया है जबकि कृषि भूमि से बनने वाले नये खसरा नम्बरान को गैरमुमकिन नदी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को भू–प्रबन्ध कार्य के दौरान कानूनन पुराने रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। केवल मात्र पुराने रिकार्ड की पुनरावृति करने का अधिकार था, ओर किसी भी सक्षम न्यायालय के आदेश के अभाव में पुराने रिकार्ड में कोई भी परिवर्तन के आदेश के अभाव में पुराने रिकार्ड में कोई भी परिवर्तन या फरेबदल करने का भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को दौराने भू–प्रबन्ध कार्य कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही थे परन्तु भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने बिना किसी अधिकार के तथा बिना किसी आधार के कृषि को गैरमुमकिन नदी के रूप में परिवर्तित किया है। गैर मुमकिन नदी के रिकार्ड में भी पुराने खसरा नम्बर 1644 की भूमि दर्ज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

नहीं थी मिलान क्षेत्रफल भूमि खसरा नम्बर पुराने खसरा नम्बर 1644 की खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से सम्वत 2020 जिसके पुराने खसरा नम्बर 2063 थे जो जोध सिंह पुत्र ठाकुर फतेह सिंह के नाम थी उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2021 से बदलकर 1644 हो गये व भूमि 2 बीघा 8 बिश्वा थी। जो आस कंवर बेवा कान सिंह हिस्सा 1/5 किशन सिंह, मूलसिंह, उम्मेद सिंह व जय सिंह पिता जोध सिंह कौम राजपूत हिस्सा 4/5 बराबर–बराबर थे। उक्त कृषि भूमि सम्वत 2025 से 2058 में आस कंवर बेवा कान सिंह हिस्सा 1/5 मूल सिह, उम्मेद सिंह, जय सिंह पुत्र जोध सिंह हिस्सा 3/5 व नारायण सिंह, सुमेर सिंह, किशोर सिंह, शिव सिंह पुत्र किशन सिंह हिस्सा 1/5 उक्त कृषि भूमि सम्वत 2028 से 2033 व सम्वत 2036 तक भी इन्ही खातेदारों के नाम दर्ज चली आ रही है परन्तु आधार वर्ष सम्वत 2044 में खसरा नम्बर 1644 के नये खसरा नम्बर 5192/3361 ने बनाकर उक्त कृषि भूमि किस्म परिवर्तन करके गैर मुमकिन नदी दर्ज कर दी। भू–प्रबन्ध से पूर्व तक उक्त जमीन रेस्पोडेन्ट व अपीलान्ट के व उनके पूर्वजो के नाम खातेदारी में दर्ज है। भू–प्रबन्ध विभाग को दौराने भू–प्रबन्ध किसी व्यक्ति की खातेदारी समाप्त करने का अधिकार नहीं है। भू–प्रबन्ध विभाग को दौराने सैटलमेंट सिर्फ गलत राजस्व रिकार्ड की पुनरावर्ति का ही क्षेत्राधिकार होता है। उक्त विवादित जमीन की किस्म कभी भी गैर मुमकिन नदी नही रही है तथा ना ही उक्त जमीन नदी की रही एवं ना ही नदी के बहाव क्षेत्र में रही। पटवारी रिपोर्ट में नदी का बहाव क्षेत्र नहीं दर्शाया गया है। धारा 16 आर.टी. एक्ट 1955 का हवाला देकर दावा खारिज करने में कानूनी गलती की है। उक्त जमीन पर धारा 16 आर.टी.एक्ट 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते। मौजूदा प्रकरण में जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य तथा अब्दुल रहमान बनाम राज. राज्य में प्रतिपादित सिद्धान्त भी लागू नहीं होते क्योंकि उक्त जमीन सैटलमेंट के पूर्व तक उक्त जमीन अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट व उनके पूर्वजों की खातेदारी व कब्जा काश्त की रही है। अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि की किस्म (गै.मु.नदी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण भी वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में स्पष्ट रूप में वर्णित किया गया है कि भूमियां जिनमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें जिनमें नदी की भूमि भी सम्मलित है अर्थात गेर मुमकिन नदी के संबंध में इस अधिनियम में अथवा राज्य के किसी भाग में उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि अधिनियमिति किसी बात के होते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। फलस्वरूप वादी गैर मुमकिन नदी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी.(सी.) संख्या 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एंव माननीय उच्च न्यायालय जोधुपर की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय दिनांक 20.08.2004 के अनुसार प्रतिपादित किया है कि नदी, तालाब, जोहड़ पायतन जो धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों के संबंध में प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अतः इनमें खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं किये जा सकते है ना ही किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

निर्णय आज दिनांक 10.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(बलदेवाराम धौंजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर